## न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा...... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का बाजवास

बनाम

अप्रार्थी :- श्री चिमनसिंह/गोपालसिंह दरोगा निवासी शेजास अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 49 / 2018

निर्णय — दिनांक 31.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाजवास ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद शेजास के खसरा नम्बर 86 ..... मी. किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.0504बे बीघा भूमि में चन्दवा लगाकर लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी —........ से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ......—........ने दिनांक ..........—....... को उपस्थित होकर ..........—........................ प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अप्रार्थी द्वारा ग्राम शेजास के खसरा नम्बर 86 किस्म गै.मु. ...रास्ता... में रकबा 0.0504बे. बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12/- रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0504बे. बीघा भूमि के 0.048 रूपये लगान का 50 गुणा 3/- ...../- अक्षरे तीन रूपये... रूपये शास्ति जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2018... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा

उप तहसीलदार पीलवा